# न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

## प्रार्थना पत्र सख्या 06/2019

डॉ0 लक्ष्मण हरचन्दानी पुत्र श्री लेखराज निवासी 09/47, गंज, अजमेर
– प्रार्थी

**बनाम**

1. श्री गजेन्द्र सिसोदिया, सयुक्त निदेशक अजमेर जोन, स्वास्थ्य सकुल जवाहर रंग मंच के पास, लोहागल रोड अजमेर
2. श्री के.के.सोनी सी.एम.एच.ओ स्वास्थ्य संकुल जवाहर रंग मंच के पास लोहागल रोड अजमेर

– अप्रार्थी

उपस्थितः–

1. श्री जिनेश सोनी अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री विनोद पंवार अभिभाषक अप्रार्थी

**राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954 की धारा 06,11,11 ए**

**–:आदेशः–**

दिनांक 30.01.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 06, 11, 11 ए राजस्थान धार्मिक व स्थल अधिनियम 1954 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी/परिवादी स्वयं अजमेर में सी.एम.एच. ओ आफिस में सी.एम.एच.ओ. पद पर कार्य कर चुका है। अजमेर में सी.एम.एच. ओ आफिस एक पब्लिक बिल्डिंग है, वहा पर जन स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यालय स्थित है। कार्यालय कर्मीयों से अवैध रूप से चंदा एकत्र कर अप्रार्थी संख्या 01 उक्त परिसर में बिना किसी अनुमति के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे रूष्ट होकर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 06,11,11 ए प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया ।

जिला कलक्टर
अजमेर

सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया ।

वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी/परिवादी स्वयं भी अजमेर में सी.एम.एच.ओ के पद पर कार्य कर चुका है, जिस कारण वह एक जिम्मेदार नागारिक है। उसका कर्तव्य है कि वह किसी भी प्रकार की अवैधानिकता को रोके। उसके विभाग में जो अवैधानिकता अप्रार्थीगण द्वारा की जा रही है। धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम के प्रावधानुसार कोई भी व्यक्ति श्रीमान जिलाधीश की आज्ञा के बगैर धार्मिक भवन का निर्माण नहीं करेगा और न ही किसी भी पब्लिक बिल्डिग को धार्मिक भवन में परिवर्तित करेगा । यदि वह ऐसा करता है तो ऐसी स्थिति में श्रीमान् न्यायालय लोकल पुलिस से रिपोर्ट मंगवाकर उसे दंडित कर सकते है तथा श्रीमान् न्यायालय जिलाधीश को रिपोर्ट कर सकते है ताकि उक्त अवैधानिक कार्य को रिमूव किया जा सके। अजमेर में सी.एम.एच.ओ आफिस एक पब्लिक बिल्डिग है, वहा पर जन स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यालय स्थित है। कार्यालय कर्मीयों से अवैध रूप से चंदा एकत्र कर अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उक्त परिसर में बिना किसी अनुमति के मंदिर का निर्माण कर हे जो कि विधिनुसार गलत है क्योंकि उक्त परिसर में किसी भी रूप से धार्मिक भवन का निर्माण नही किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 02 अजमेर में सी.एम.एच.ओ आफिस में कार्यरत है तथा उसके उक्त बात का जानकारी है कि जो कार्य किया जा रहा है वह पूर्ण रूप से अवैधानिक है क्योकि पब्लिक प्लैस पर कोई भी मंदिर या धार्मिक स्थल का निर्माण नही कर सकते जब तक जिलाधीश महोदय की लिखित सहमति न हो। इस सबंध में राजस्थान धार्मिक भवन व स्थल अधिनियम 1954 है। अतः सम्बन्धित पुंलिस थाना से रिपोर्ट तलब कर और उसके आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करे ।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि उक्त अधिनियम की धारा 6 के अनुसार केवल वही वाद सुनवाई योग्य है जिसमें कोई नया निर्माण कार्य किया गया हो परन्तु उपरोक्त विचारणीय वाद में जिस मंदिर को विवादित बताया जा रहा है वह मंदिर उस स्थान पर 30–35 वर्षो से स्थित है जिसका भी उल्लेख स्वयं थानाधिकारी के पत्र क्रमांक 2059 दिनांकित 17.03.2019 व उपखण्ड अधिकारी के पत्र क्रमांक 1737 दिनांक 09.04.2019 में किया गया है। उक्त मंदिर का केवल जीणोद्वार करवाया गया है न की कोई नया निर्माण किया गया है एवं न ही किसी राजकीय व गैर राजकीय भवन का रूप परिवर्तित किया गया है स्वस्थ्य संकुल में वह मंदिर लगभग 30–35 वर्षो से स्थित है। इसलिए उक्त वाद गलत नियति से केवल विभाग क जिम्मेदार अधिकारियों को व्यथित करने हेतु व उनकी स्वच्छ छवि को दूषित करने के लिए दायर किया गया है । लेकिन वाद में उल्लेखित कारण अधिनियम की धारा 06 के प्रावधानो से बिलकुल प्रतिकूल है इसलिए अविचारणीय व अस्वीकार्य है। थानाधिकारी व उपखंड अधिकारी की विधिवत रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा इस वाद के साथ संलग्न की गयी है

जिला कलक्टर
अजमेर

जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है की स्वस्थ संकुल में वह मंदिर लगभग 30–35 वर्षो से स्थित है एवं वहा कोई नया निर्माण नही किया गया है अपितु उसका जीणोद्वार कराया गया है । यह मंदिर सभी कार्मिको की आस्था का विषय है विवादित मंदिर सभी कार्मिको की अगाध आस्था का केंद्र रहा है इसलिए इसके जीणोद्वार का जिम्मा भी सभी कार्मिको द्वारा स्वेच्छा से लिया गया था जिसमें किसी भी रूप से जबरन चन्दा वसूली की कोई शिकायत विभागीय स्तर पर प्राप्त नहीं हुई है एवं इसके पदस्थ अधिकारियों से किसी भी तरह की राशि स्वीकृति की अनुमति नही चाही गयी, इसलिए उक्त आरोप बेबुनियाद एवं केवल मात्र पदस्थ अधिकारियों की छवि को आघात पहुँचाने के लिए लगाए गए है । धार्मिक स्थल के नव निर्माण बाबत तथ्य सत्य से कोसो दूर एवं अनर्गल होने के कारण जवाब देने योग्य नही है। अतः प्रकरण राजस्थान धार्मिक भवन व स्थल अधिनियम 1954 की किसी भी धारा के अंतर्गत विचारणीय नही है अपितु खारिज किया जावे।

प्रार्थी के द्वारा काउंटर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि जवाब की चरण संख्या 01 से 06 के सबंध में अप्रार्थीगण द्वारा अंकित किया गया कि मंदिर 30 साल पुराना है तथा केवल जीणोद्वार किया गया है। महत्वूपर्ण बात यह कि प्रार्थी ने आवेदन वर्ष 2019 में पेश किया गया है तथा उक्त आवेदन के प्रस्तुती वर्ष 30 वर्ष घटाये तो 1989 वर्ष की स्थिति आती है जब मंदिर निर्माण की बात अप्रार्थीगण ने की। उस समय सी.एम.एव.ओ आफिस नही था जो कि वर्ष 2008 में अस्तित्व में आया तो बात झूठी साबित हुई। दूसरी बात 1954 के उक्त राजस्थान धार्मिक भवन व स्थत अधिनियम 1954 के अनुसार कलैक्टर की परिमिशन चाहिए तो वर्ष 1954 के बाद बने उक्त मंकदर के सबंध में कलैक्टर की परिमिशन हो ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नही किया गया है। (धारा 6) जिस कारण जब स्वीकृति नही है तो ऐसी स्थिति में पूरी कार्यवाही अवैधानिक है तथा न ही स्वीकृति का कोई भी दस्तावेज पेश किया गया । 30 साल का क्या मापदंड अप्रार्थीगण ने लिया यह भी स्पष्ट नही है जबकि बिल्डिंग सी.एम. एच.ओ की 30 साल पहले नही थी तो स्पष्ट है कि झूठे कथन किये गये किये गये कि मंदिर नया बनाया गया है। आप चाहे तो मटिरियल की जांच करवा सकते है और सबंधित विभाग से भी मेप मंगवाकर देख सकते है । अतः अप्रार्थीगण जवाब कथन खारिज फरमाते हुए आवेदन स्वीकार कर उक्त अवैध मंदिर बनाने वाले अप्रार्थीगण के विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी का मुख्यतः कथन है कि सी.एम.एच.ओ कार्यालय परिसर में बिना स्वीकृति के मंदिर का निर्माण अप्रार्थीगण द्वारा किया गया है । जिसकी लिखित में स्वीकृति प्राप्त नही की गई है। अतः राजस्थान धार्मिक स्थल नियम 1954 की धारा 11 व धारा 11 ए के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जावे जबकि जवाब में अप्रार्थीगण का मुख्यतः कथन है कि कोई नया निर्माण कार्य नही किया गया विचारणीय जवाब में जिस मंदिर को विवादित बताया गया

जिला कलक्टर,
अजमेर

है वह मंदिर उस स्थान पर 30–35 वर्षो से स्थित है जिसका उल्लेख स्वयं थानाधिकारी के पत्र कमांक 2059 दिनांक 17.03.2019 व उपखण्ड अधिकारी के पत्र कमांक 1737 दिनांक 09.04.2019 व 26.04.2019 में भी किया गया है। उक्त मंदिर का केवल जीणोद्वार करवाया गया है न कि कोई नया निर्माण किया गया है। संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 04.02.2019 के द्वारा मंदिर के जीणोद्वार की स्वीकृती जारी की गई है। अतः पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि थानाधिकारी पुलिस, थाना सिविल लाईन्स अजमेर के रिपोर्ट दिनांक 17.03.2019 एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर की रिपोर्ट दिनांक 26.04.2019 व 9.04.2019 में न्यायालय के समक्ष प्रकट तथ्यों के तहत प्रश्नगत केवल मात्र मंदिर का जीणोद्वार कार्य होना जाहिर किया गया है। राजस्थान धार्मिक भवनव स्थल अधिनियम 1954 की धारा 6 के मुताबिक (a) construct any public religious building: or (b) convert any private or public building or place into a public religious building. चूकि थानाधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 17.03.2019 एवं उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 26.04.2019 व 09.04.2019 में मंदिर का जीणोद्वार कार्य किया जाना जाहिर किया गया है इससे स्पष्ट है कि उक्त प्रश्नगत घार्मिक स्थल पूर्व से स्थापित होने से राजस्थान धार्मिक भवन व स्थल अधिनियम 1954 की धारा 6 के प्रावधान प्रकरण पर चस्पा नही होते है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 06, 11, 11 ए राजस्थन धार्मिक व स्थल अधिनियम 1954 की धारा 11 व धारा 11 ए के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उपरोक्त तथ्यों के मध्यजर स्वीकार योग्य प्रतीत नही होने से अस्वीकार कर इसी कदर से खारिज किया जाता है । अप्रार्थी / सबंधित सी.एम. एच.ओ स्वास्थ्य संकुल जवाहर रंग मंच के पास लोहागल रोड अजमेर राजस्थान धार्मिक भवन व स्थल अधिनियम 1954 के तहत मामला है तो नियमानुसार सक्षम स्तर से कार्यवाही 6 माह में किया जाना सुनिश्चित करावें ।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954 की धारा 11 व धारा 11 ए अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.01.2023 को बाद हस्ताक्षर के सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर,
अजमेर